न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 315/2016 निर्णय दिनांक :– 22.01.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. सद्दा पुत्र नानगा जाति धाकड़ उम्र 65 वर्ष निवासी ठिकरियाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रामस्वरूप पुत्र सद्दा जाति धाकड़ उम्र 44 वर्ष निवासी ठिकरियाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. बरधा पुत्र श्रीलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी ठिकरियाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. छीतर पुत्र श्रीलाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी ठिकरियाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. कैलाशी पुत्री लक्ष्मण जाति जाट जाट उम्र बालिग निवासी ठिकरियाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. कन्या पुत्री लक्ष्मण जाति जाट जाट उम्र बालिग निवासी ठिकरियाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रार्थी–

बनाम

1 गीता पुत्री रामनारायण पत्नी गोपाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ठिकरियाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2 कान्ता पुत्री कालू जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी ठिकरियाकंला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3 तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री सत्यनारायण धाकड़
श्री राजेश कुमार नागर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी नं. 1 की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 445 ख. नं. 409 रकबा 1.41 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.41 है0 वाके तनग्राम ठिकरियाकलां पटवार हल्का

टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है तथा प्रार्थीगण नं. 2 ता 6 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात खाता संख्या 205 ख. नं. 407 रकबा 0.05 है0 गै. मु. चाह कुल किता 1 कुल रकबा 0.05 है0 वाके तनग्राम ठिकरियाकला पटवार हल्का ठिकरियाकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पहले अप्रार्थीगण नं. 1 ता 2 की खातेदारी की भूमि आराजी खाता नम्बर 364 ख. नं. 404 रकबा 3.00 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 3.00 है0 वाके तनग्राम ठिकरियाकला पटवार हल्का ठिकरियाकला तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में से ही होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से अपनी खातेदारी की भूमि में आते जाते है तथा काश्तकारी कार्य करते है लेकिन विधिवत रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता है इस कारण प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में अपने पूर्वजो के समय से उक्त अप्रार्थीगण नं. 1 ता 2 की भूमि में से आते–जाते रहे है और काश्तकारी कार्य करते रहे है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। आराजी खाता सिंख्या 205 की सहखातेदार कस्तुरी बेवा लक्ष्मण की मृत्यु होने से उसे प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा इसके वारिस कैलाशी व कन्या आलरेडी प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। प्रार्थीगण रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 3 तहसीलदार दूनी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 407, 409 पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की ख. नं. 404 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 170 मीटर अर्थात 680 वर्ग मीटर, ख. नं. 408 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 26 मीटर अर्थात 104 वर्ग मीटर, कुल चौड़ाई 4 मीटर व कुल लम्बाई 196 मीटर कुल क्षैत्रफल 784 वर्ग मीटर होगां । उक्त भूमि की डीएलसी दर 2,93,139/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। डी.एल.सी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 45960/– रूपये होती है। आराजी ख. नं. 409, 407 सद्दा पुत्र नानगा वगै0 कौम धाकड़ निवासी ठिकरिया कला के नाम दर्ज है। प्रार्थी ख. नं. 404 एवं 408 में से रास्ता चाहता है जो नक्शा ट्रेस, नक्शा शीट मं लाल स्याही से चिन्हित है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार, पक्का निर्माण नही है। अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत है। मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, संलग्न कर मय अभिशंषा के रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अप्रार्थीगण भी रास्ता देने के लिए सहमत है। अतः रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

पेरोकार सरकार ने अपने बहस में रास्ते के सम्बन्ध में कोई आपति नहीं की।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के ख0नं0 409 रकबा 1.41 है0, खसरा नम्बर 407 रकबा 0.05 है0 गै. मु. चाह मे जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इन अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ते की ख. नं. 404 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 170 मीटर अर्थात 680 वर्ग मीटर, ख. नं. 408 में चौडाई 4 मीटर एवं लम्बाई 26 मीटर अर्थात 104 वर्ग मीटर, कुल चौड़ाई 4 मीटर व कुल लम्बाई 196 मीटर कुल क्षैत्रफल 784 वर्ग मीटर होगां उक्त भूमि की डीएलसी दर 2,93,139/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। डी.एल.सी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 45960/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार संदाय करे। उक्तानुसार बाद पालना, रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली